(176)

संख्या–919 /XV-2/01(26)/2006(मत्स्य)

प्रेषक,

आर0सी0 पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 27 ~~अगस्त~~ नवम्बर 2012

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 में मत्स्य निदेशालय के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति (मत्स्य विभाग का सुदृढ़ीकरण) के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–994/म0वि0का0सु0/2012–13, दिनॉक 24–08–12 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भोपालपानी, देहरादून में मत्स्य निदेशालय के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 119.00 लाख के आगणन स्वीकृत किये। सम्पूर्ण धनराशि समय पर अवमुक्त न होने के कारण ₹ 157.18 लाख के आगणन पुनरीक्षित किये गये। जिसके सापेक्ष ₹ 144.97 लाख की धनराशि पूर्व में स्वीकृत/व्यय की जा चुकी है। उक्त कार्य सम्पादन करने हेतु अवशेष ₹ 12.21 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रावधानित बजट ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है । शेष धनराशि ₹ 2.21 लाख बचतों से अथवा अगले वित्तीय वर्ष में अवमुक्त हेतु प्रस्ताव किया जायेगा :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि केवल अनुमोदित कार्यक्षेत्र (Approved scope of work) में ही व्यय की जाय। यदि इसके अतिरिक्त कार्य बचत धनराशि से किये जाते है तो बचत का ब्यौरा देते हुए अतिरिक्त प्रस्तावित कार्य (Additional works outside of approved scope of works) प्रारम्भ करने से पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि में से सर्वप्रथम पुराने कार्यो को पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त नये कार्य प्रारम्भ किये जायेगे।
3. काम कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

2/-

5. कार्य कराने से पूर्व तकनीकी दृष्टि से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाये तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाये तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न की जाये।
7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण (टैसटिंग) करा लिया जाय, तथा उपयुक्त पाई जाने की दशा में ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्ययें–00–आयोजनागत–001–निदेशक तथा प्रशासन–03–मत्स्य विभाग के आवसीय एवं अनावसीय भवनों का निर्माणं–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 में निहित प्राविधानानुसार www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलाटमैन्ट 0आई0डी0 संख्या तथा वित्त विभाग के अशासकीय सं0–108 P/वित्त–4/2012, दिनॉक 19 नवम्बर, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0सी0 पाठक)
सचिव।

संख्या : 919(1)/XV-2/01(26)2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, पौड़ी गढ़वाल।
3. निजी सचिव–पशुपालन मंत्री, को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
उप सचिव।